

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072023-247507 CG-DL-E-21072023-247507

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3144] No. 3144] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945

## कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

# (कृषि, और किसान कल्याण विभाग)

#### आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

का.आ. 3277(अ).— केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20(क) के अनुसरण में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित किए जाने वाले उर्वरक फास्फोजिप्सम (दानेदार) से संबंधित निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :- फास्फोजिप्सम (दानेदार)

	`	,	$\sim$		
1	भार के आधार पर	ट असरेना ह	रा सोवंशव	भारतिस्या	
	मार भाजाबार भ	्जा ५ ता ५	ทา ภายเราย.	जावकात्त्व -	

15.0

2. भार के आधार पर सोडियम अंतर्वस्तु (एन ए के रूप में) का प्रतिशत,अधिकतम-

0.75

- 3. रंग हल्का हरा
- 4. कण आकार 90 प्रतिशत से अन्यून सामग्री 4 मि. मी. भारतीय मानक छलनी से निकल 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी पर रह जाएगी। 5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी से निकल जाएंगे
- 5. भार के आधार पर सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम-

13.0

6. भार के आधार पर सल्फेर डी हाईड्रेट अंतर्वस्तु का प्रतिशत न्यूनतम -

70.0

7. भार केआधार पर फ्लोराइड (एफ के रूप में) का प्रजतित अधिकतम

1.0

4720 GI/2023 (1)

8. भारी धातु अतर्वस्तु (एम जी प्रतिकिलो के रूप में) अधि	ोकतम
---	------

लैड (Pb के रूप में)	100.0
कैडमियम (Cd के रूप में)	5.0
क्रोमियम (Cr के रूप में)	50.0
निकेल (Ni के रूप में)	50.0
आर्सेनिक ( $As_2O_3$ के रूप में)	10.0
मर्करी (Hg के रूप में)	0.15

[फा. सं. 2-1/2023 उर्वरक-विधि]

YOGITA RANA, Jt. Secy. (INM)

योगिता राना, संयुक्त सचिव, (आई एन एम)

#### MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

## (Department of Agriculture, and Farmers Welfare)

#### **ORDER**

New Delhi, the 21st July, 2023

**S.O. 3277(E).**—In pursuance of clause 20 A of Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) Control Order,1985, the Central Government hereby notifies the following specifications in respect of Phospho Gypsum (Granular) to be manufactured in India for a period of three years from the date of .publication in the official Gazette, namely,-

Phospho Gypsum (Granular);

•					
	(i)	Moisture per cent. by weight, maximum	15.0		
	(ii)	Sodium content (as Na) per cent. by weight, maximum	0.75 (on dry basis)		
	(iii)	Colour	Light Green		
	(iv)	Particle Size: Not less than 90 per cent. of the material shall pass through 4 mm IS sieve and shall be retained on 1 mm IS sieve. Not more than 5 per cent. shall pass through 1 mm IS sieve			
	(v)	Sulphur (as S) per cent. by weight, minimum	13.0		
	(vi)	Calcium Sulphate dehydrate content, percent. by weight minimum	70.0 (On dry basis)		
	(vii)	Flouride (as F) per cent. by weight, maximum	1.0		
	(viii)	Heavy metal content ( as mg per kg) maximum			
		Lead (as Pb)	100.0		
		Cadmium (as Cd)	5.0		
		Chromium	50.0		
		Nickel	50.0		
		Arsenic (as As <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	10.0		
		Mercury (as Hg)	0.15		
			[F. No. No.2-1/2023Fertlaw]		